कार्यालय पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस-नोट

दिनांक- 29-03-2025

विषयः- नाबालिग लड़की को भगा ले जाने वाला अभियुक्त थाना रामनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार, अपहृता बरामद।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी महोदय द्वारा अपराधों की रोकथाम के मद्देनजर चोरी/लूट की घटनाओ के सफल अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के पर्यवेक्षण मे एवं सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली व प्रभारी निरीक्षक रामनगर के नेतृत्व में थाना रामनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0- 47/2025, धारा- 137(2)/87/65(1) बी0एन0एस0 व 3/4 पास्को एक्ट थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी से संबंधित वांछित अभियुक्त कुलदीप मौर्य पुत्र स्व0 जयश्री मौर्य निवासी निवासी हाजीपुर थाना अदलहाट जनपद मिर्जापुर को दिनांक- 29.03.2025 को गिरफ्तार कर हिरासत पुलिस में लेते हुए व 15 वर्षीय अपहृता की बरामदगी की गयी तथा कारण गिरफ्तारी बताते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया।

घटना का विवरणः- दिनांक 12/03/2025 को वादी मुकदमा ने लिखित सूचना दिया कि मेरी नाबालिग पुत्री उम्र 15 वर्ष दिनांक 24/02/2025 से कही चली गयी जो वापस नही आयी के सम्बन्ध में वादी मुकदमा द्वारा दिये गये लिखित तहरीर के आधार पर थाना रामनगर पर मु0अ0सं0-0047/2025 धारा 137(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया।

विवरण पूछताछः- संगम पुत्र वंशीलाल निवासी यादव नगर थाना शंकरगढ़ जनपद प्रयागराज हाल पता 36वी पीएसी वाहिनी रामनगर वाराणसी पूछताछ पर बता रहा है कि साहब मैं वादी मुकदमा की 15 वर्षीय लड़की से प्यार करता था हम दोनों घर से भागकर आंध्र प्रदेश चले गये जहां मंदिर में हम दोनों ने शादी कर लिये।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण- कुलदीप मौर्य पुत्र स्व0 जयश्री मौर्य निवासी हाजीपुर थाना अदलहाट जनपद मिर्जापुर उम्र 19 वर्ष।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

1. प्र0नि0 राजू सिंह थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 श्री देवेन्द्र गुप्ता रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी ।
3. म0उ0नि0 गरिमा गौतम रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त काशी जोन
कमिश्नरेट वाराणसी